फर्जी अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष बनकर 2.25 करोड़ की राशि का गबन किया

श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोटड़ी धाम खंडेला का मामला, कोटड़ी धाम ट्रस्ट के नाम लिया चंदा

सीकर, (निसं)। श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोटड़ी धाम खंडेला के सदस्यों ने ट्रस्ट के फर्जी अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष बनकर ट्रस्ट के खाते से 2 करोड़ 25 लाख रूपए निकाल लिये। इस धोखाधड़ी में बैंक प्रबंधन पर भी शामिल होने के आरोप लगे हैं। मामला सीकर कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य तुलसीराम निवासी नोहर हनुमानगढ़ हाल निवासी रंगोली रेजिडेंसी शास्त्री नगर सीकर ने बताया कि वह श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोटड़ी धाम का पूर्व कार्यकारिणी सदस्य है। ट्रस्ट एक विधिवत पंजीकृत ट्रस्ट है, जो देवस्थान विभाग जयपुर से पंजीकृत है। रिपोर्ट में बताया इस ट्रस्ट के डीड के मुताबिक ट्रस्ट में 13 प्रन्यासी होते हैं, जिनमें से 9 का चुनाव 5 वर्ष बाद होता है तथा 9 चुने हुए प्रन्यासियों द्वारा चार अन्य प्रन्यासियों को मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार प्रन्यास मंडल के कुल 13 सदस्य होते हैं। इन 13 प्रन्यासियों द्वारा इनमें से ही तीन प्रन्यासी अध्यक्ष मंत्री व कोषाध्यक्ष प्रत्येक 2 वर्ष से चुने जाते हैं। प्रन्यास मंडल का सम्मेलन साल मे

- **इस धोखाधड़ी मामले में में बैंक प्रबंधन पर भी शामिल होने के आरोप लगे हैं, पुलिस को रिपोर्ट दी**
- **पुलिस ने आरोपियों के अवैध चुनाव से पद पाने, अवैध चंदा वसूली व बैंक से नियम विरुद्ध राशि निकालने की पुष्टि होना बताया है**

एक बार होना आवश्यक है। इस परिस्थितियों में पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने का प्रावधान है। ट्रस्ट की चल अचल संपतियां, धनराशि का ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लिए जाने का प्रावधान है। लेखे-जोखे की जानकारी पदाधिकारियों को ट्रस्ट के साधारण वार्षिक सम्मेलन में देनी होती है। रिपोर्ट में बताया ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने ट्रस्ट व प्लेटफार्म के साथ धोखाधड़ी करते हुए खुद ही अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष बनकर विधि विरूद्ध चंदा वसूली की तथा ट्रस्ट के नाम पर लिए करोड़ों रूपए हड़प लिए। आरोपी रामकुमार सोनी निवासी सीकर अध्यक्ष व शम्भूदयाल रतनगढ़ चूरू कोषाध्यक्ष बना। दोनों ने खुद को ट्रस्ट के कागजों में अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर ट्रस्ट के एक बैंक अकाउंट के अलावा दो अन्य बैंक अकाउंट खुलवा लिए। जिसके बाद ट्रस्ट के नाम से करोड़ों रूपए की राशि चंदे के रूप मे प्राप्त कर ली। फर्जी अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष ने ट्रस्ट के नाम पर 2 करोड़ 25 लाख रूपए निकाल लिए। इस गबन में बैंक प्रबंधन पर भी शामिल होने के आरोप हैं।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मामले की जांच की तो करोड़ों के गबन का मामला सामने आया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे एएसआई सोहनलाल जाट ने भी आरोपियों के अवैध चुनाव से पद पाने अवैध चंदा वसूली व बैंक से नियम विरुद्ध राशि निकालने की पुष्टि होना बताया है।

डॉ. पूनियां ने सुंदरलाल काका और जुबैर खान को श्रद्धांजलि दी

जयपुर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने हरियाणा से एक दिवसीय राजस्थान प्रवास पर पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदरलाल काका के दु:खद निधन पर झुंझुनूं जिले के ग्राम कलवा (बुहाना) पहुंचकर सुंदरलाल काका को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया।

इसके बाद अलवर पहुंचकर सतीश पूनियां और राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रामगढ़ से विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुबैर खान के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद शाम को हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचकर सतीश पूनियां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित भाजपा हरियाणा कोर कमेटी व चुनाव प्रबंधन बैठक में शामिल हुये।

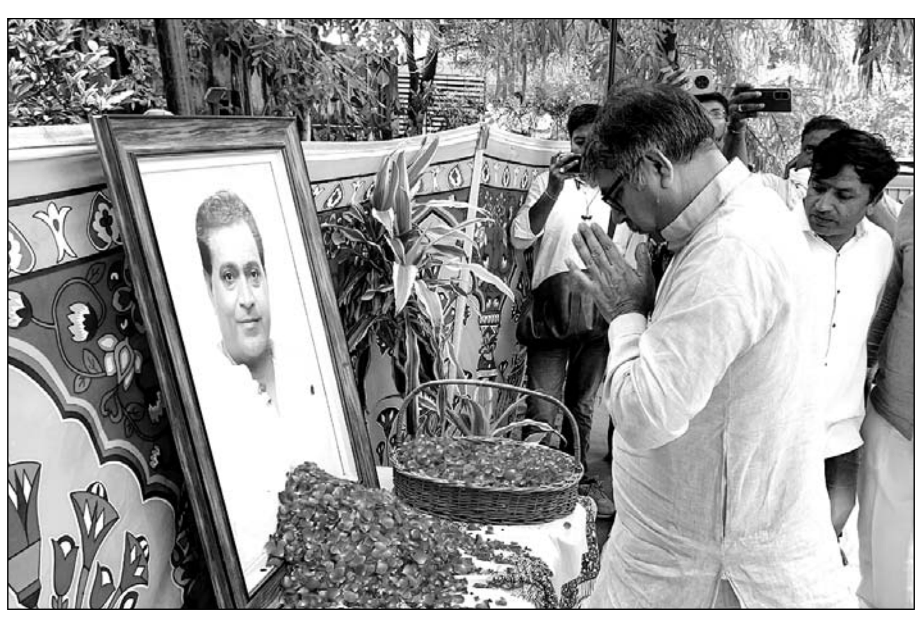

भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जुबैर खान को श्रद्धांजलि दी।

मूर्ति विसर्जन करने गए तीन बालक पानी में डूबे, दो की मौत

छोटीसादड़ी, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के बरवाड़ा गुर्जर गांव कुछ दूरी पर स्थित मंदिर के पास नाले में गणेशजी की मूर्ति विसर्जन करने गए तीन बालक डूब गए, जिसमें से दो की मौत हो गई और एकी की हालत गंभीर होने से उसे अग्रिम उपचार के लिए रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही चिकित्सालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीआई सही पुलिस की टीम भी चिकित्सालय पहुंच कर जानकारी लेते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।

जानकारी के अनुसार घर में स्थापित गणपति जी की मूर्ति को गांव से कुछ दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पीछे स्थित नाले में विसर्जन को गए तीन बालक नाले में डूब गए, साथ में मौजूद बालिका ने जब बालकों को डूबते हुए देखा तो चिल्लाई जिसके चलते पास ही रेल लाइन का काम कर रहे मजदूरों ने दौड़ कर डूबे हुए तीनों बालकों को निकाल कर 108 की सहायता से छोटीसादड़ी चिकित्सालय पहुचाया। जहां चिकित्सकों ने निरीक्षण कर हिमांशु (10) पुत्र राधेश्याम यादव, शुभम (15) पुत्र कन्हैया लाल यादव निवासी बरवाड़ा गुर्जर को मृत घोषित किया। वहीं क्रीतेश (13) पुत्र राधेश्याम यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए, अग्रिम उपचार के लिए रेफर किया गया। जैसे ही लोगो को घटना की जानकारी मिली तो जनप्रतिनिधियों सहित लोगो की भीड़ चिकित्सालय के बाहर जमा हो गई। वही पुलिस भी चिकित्सालय पहुंच कर घटना की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।

विसर्जन को गए एक ही परिवार के बालक बालिकाओं में से दो सगे भाइयों के पुत्रों के डूब जाने की घटना ने सभी को शोक में डुबो दिया।कन्हैया लाल व राधेश्याम यादव दोनों सगे भाई थे। जिसमें से तीन वर्ष पूर्व ही राधेश्याम यादव की मौत हो चुकी है। विधवा मां पति का सहारा छिन जाने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी।

हादसे में ननद-भाभी की मौत

बीकानेर, (निसं)। पैदल जा रही ननद-भाभी सहित तीन महिलाओं को कार ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिलाओं की बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। पैर सहित शरीर के तमाम अंग कटकर दूर जा गिरे। ननद-भाभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है। एक ही परिवार की 3 महिलाएं मंगलवार सुबह करीब 4 बजे श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में स्थित तौलियासर भैरुंजी मंदिर जा रही थी। मंदिर से करीब 2 किमी पहले ये हादसा हो गया। श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी इंद्र कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी तौलियासर भैरुंजी मंदिर में मेला चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मंगलवार तड़के आडसर बास की रहने वाली राखी (34) पत्नी आनंद और खुशी (20) पुत्री नथमल तावणिया भी दर्शन करने निकली थी। मंदिर मार्ग पर ही कार ने 3 महिलाओं को चपेट में ले लिया। इसमें राखी और खुशी की मौत हो गई है। माया (25) पत्नी घनश्याम सारस्वत निवासी आडसर बास, बीकानेर गंभीर रूप से घायल हो गई है।

आरटीओ अफसर और उड़नदस्ते पर हमले के आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की सूरसागर पुलिस ने 13 सितम्बर को आरटीओ अफसर और उड़नदस्ते पर हमला करने एवं राजकार्य में बाधा डालने के मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। उससे वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर को भी जब्त किया गया है। पुलिस अभियुक्त से पूछताछ में जुटी है।

थानाधिकारी मांगीलाल विश्रोई ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए थाना स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई। 13 सितम्बर को श्रीकांत कुमावत हाल परिवहन निरीक्षक प्रादेशिक कार्यालय जोधपुर ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जोधपुर में 28 फरवरी से कार्यरत है। उन्हें प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा डीएफएस-06 में तैनात किया गया है। उनकी फ्लाइंग में ड्राईवर महेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र मानसिंह राठौड़ निवासी औस्त्रा

- **आरोपी से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर को भी जब्त किया, पूछताछ में जुटी पुलिस**
- **आरोपी के भाई के ट्रक का प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जोधपुर की उड़नदस्ता टीम द्वारा चालान किया गया था**
- **अभियुक्त पुखराज ने आरटीओ टीम को सबक सिखाने के उद्देश्य से हमला किया था**

भोपालगढ़ हाल चैनसिंह मार्ग गांधीपुरा बीजेएस कॉलोनी है। गार्ड मानाराम विश्नोई पुत्र गोपाराम सुरपुरा हैं। 12 सितम्बर रात्रि करीब एक बजे बालरवा में चल रही थी।

वहां पर काफी चालान बनाए गए। नारवा में सामने से एक बोलेरो कैम्पर आई। उसने सामने से बोलेरो कैम्पर से फ्लाइंग टीम को टक्कर मारने की कोशिश की। जिस पर ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को वहां से बचाकर दौड़ा दिया, नारवा पुलिया से तकरीबन 1 किमी कालीबेरी की तरफ भागते हुए महादेव सेन्ड स्टोन जो कि मैन रोड़ पर हैं वहां हमने बचाव के लिये गाड़ी रोकी। पीछे से बोलेरो कैम्पर आई जिसमे बैठा आदमी ने कैम्पर को फ्लाइंग गाड़ी के पीछे लगाकर नीचे उतरकर आया औऱ उसने आते ही ड्राइवर साइड के कांच के ऊपर लाठी से हमला किया और कांच फोड़ दिया। जिससे कांच के टुकड़े उछलकर आरटीओ अफसर की आंख मे घुस गया। गार्ड मानाराम विश्नोई के आंख व चेहरे पर कांच के टुकड़े लगे। गाड़ी पर हमला करने वाला पुखऱाज पुत्र चोलाराम जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी नारवा व उसके साथ पिन्टाराम भी था। इन लोगों ने हमारे द्वारा गाड़ी का चालान बनाने से नाराज होकर हमला किया।

थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि मुख्य अभियुक्त पुखराज पुत्र चोलाराम जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी नारवा सूरसागर जोधपुर की पहचान कर अभियुक्त को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि अभियुक्त पुखराज से पूछताछ में पता लगा कि आरोपी के भाई के ट्रक का प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जोधपुर की उड़नदस्ते टीम द्वारा चालान किया गया था। अभियुक्त पुखराज ने आरटीओ टीम को सबक सिखाने के उद्देश्य से यह हमला किया। पुलिस की टीम में एएसआई सुरताराम, कांस्टेबल मनीष, धर्माराम, बनवारीलाल एवं डूंगरराम शामिल रहे।

युवक की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडा बड़ा गांव के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बिछीवाड़ा थाने के एएसआई ने बताया कि गढ़ा मालजी निवासी सुनील कटारा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि वह और बकुल कटारा बाइक पर अपने गांव से अहमदाबाद जा रहे थे। इस दौरान डूंगरपुर-बिछीवाड़ा मार्ग पर ओडा बड़ा गांव के पास एक डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बकुल के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में सुनील गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।

कालिया बाबा काला पहाड़ को खनन से बचाने के लिये किया जा रहा अनशन समाप्त

भुसावर/भरतपुर, (निसं)। छोटे गोवर्धन पर्वत के नाम से विख्यात और पर्यावरण सहित धार्मिक महत्व के पर्वत कालिया बाबा काला पहाड़ जो कि राज्य के तीन जिले भरतपुर, अलवर और दौसा की सीमा पर स्थित है, इसको खनन से बचाने और इसे धार्मिक क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर लगातार आन्दोलन चल रहा था और लगभग एक दर्जन संत और भक्त पिछले नौ दिन से सत्याग्रह कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने अनशनकारियों से बातचीत की। उपखंड अधिकारी ने बाकी रही 4 लीजों को तुरन्त निरस्त करने की बात कही और बाकी 9 लीजों के लिये कार्यवाही की बात कही। मौके पर ही पथैना सरपंच बृजेश सिंह ने विधायक बहादुर सिंह कोली से दूरभाष पर बातचीत की, जिस पर विधायक ने सरकार से बातचीत करके सभी लीजों को निरस्त कराने का भरोसा दिलाया, तब जाकर अनशनकारियों ने अनशन समाप्त किया।

लोगों ने कहा कि सभी लीजों को समाप्त कराने के लिये आन्दोलन जारी रहेगा। इस पर्वत की गुफाओं में अनेकानेक संत-महात्मा तपस्या करते हैं और संत भक्तों द्वारा अनवरत

कालिया बाबा काला पहाड़ को खनन से बचाने और इसे धार्मिक क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर चल रहे आन्दोलन में कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की।

परिक्रमा चलती रहती है। यह आन्दोलन सुआकी जसवर गांवों से आगे जंगलों में हसनका स्थित चन्द्रमादास आश्रम मन्दिर पर हो रहा है जिसमें दर्जनों गांवों के लोग हिस्सा ले रहे थे। प्रकृति और पर्यावरण की अनूठी झलक यहां देखने को मिलती है। ऊँची पर्वत श्रंखलाओं और हरे-भरे जंगल से आच्छादित दुर्गम रास्तों से चलकर कई दर्जनों गांवों से चलकर संत और भारी संख्या में भक्त आन्दोलन स्थल पर पहुंचे। आन्दोलन में पुनः दूसरे दिन भरतपुर के वरिष्ठ जननेता पूर्व सांसद पंडित रामकिशन और किसान नेता और पूर्व जिला पार्षद इंदल सिंह जाट पहुंचे। दुर्गम रास्तों की वजह से पूर्व सांसद शताब्दी पुरुष पंडित रामकिशन एक किलोमीटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आन्दोलन स्थल पर पहुंचे। आन्दोलन में खास बात यह रही कि ऐतिहासिक गांव और तहसील भुसावर के सबसे बड़े गांव पथैना की सरसादी ने आन्दोलन स्थल पर जाकर अपना पूर्व समर्थन व्यक्त किया। किसान नेता इंदल सिंह जाट ने कहा कि आन्दोलन और अनशन कई दिनों से चल रहा था। किसान नेता इंदल सिंह ने कहा कि काले पहाड़ के धार्मिक महत्व को तो स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जानते हैं। सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिये। उन्होंने कहा कि खनन कार्य की वजह से दर्जनों ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। सभा में किसान नेता इन्दल सिंह जाट, डीग से आये जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह गुर्जर और जिला पार्षद किशन सिंह पम्प, संजय शर्मा, पथैना सरपंच बृजेश सिंह, संजीव चौहान, बबलू राजपूत, पूरन सिंह, बिजेन्द्र सरपंच बबेखर, मदन सिंह आदि ने विचार रखे।

- **कालिया बाबा काला पहाड़ को खनन से बचाने और इसे धार्मिक क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर लगभग एक दर्जन संत और भक्त नौ दिन से सत्याग्रह कर रहे थे**
- **एसडीएम और तहसीलदार ने अनशनकारियों से बातचीत की, एसडीएम ने बाकी रही 4 लीजों को तुरन्त निरस्त करने और बाकी 9 लीजों के लिये कार्यवाही की बात कही**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजलदेसर जिला चूरू (राज.)

E-mail id:- raj.churu.bika@gmail.com Phone number 01567-294504

क्रमांकः- न.पा.रा./2024-25/6336 दिनांकः- 12.09.2024

Notice Inviting Bid

Bids for 01 work is invited from interested and eligible bidders up to 19-09-2024. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in)

NIB Code - DLB2425A2586

UBN Code – DLB2425WSOB08099

राज.संवाद/सी/24/5266 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः-न.पा.अ./2024/1156 दिनांकः- 12.09.2024

-:ई-निविदा सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका बोर्ड अकलेरा द्वारा वित्तिय वर्ष 2024-25 में कार्य करवाये जाने हेतु नगर पालिका द्वारा उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत संवेदको से ऑन लाईन निविदा सूचना कमांकः-न.पा.अ./2024/1141-1143 दिनांक 11.09.2024 सें 45.45 लाख रुपयें की आमंत्रित की जाती है। जिसकी अंन्तिम तिथि दिनांक 20.09.2024 रखी गई है। निविदा से सम्बंधित जनकारी एवं निविदा प्रपत्र www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। NIB Code:- DLB2425A2567, DLB2425A2568 And UBN No. DLB2425WSOB08025, DLB2425WSOB08027, DLB2425WSOB08035, DLB2425WSOB08038, DLB2425WSOB08043, DLB2425WSOB08048, DLB2425WSOB08052 पर देखी जा सकती है।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा

राज.संवाद/सी/24/5259

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सुल्तानपुर

क्रमांकः 784 दिनांक :- 10.09.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 08/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन एवं सड़क निर्माण कार्यके लिये उपयुक्त श्रेणी में. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए बी, सी, डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जायेंगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.dipronline.org व http://www.pwd.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा. जा सकता है। निविदा अपलोड करने की तारीख 18.09.2024 को 06:00 बजे तक।

S.No.	UBN No.	S.No.	UBN No.
1	PWD2425WSOB05497	2	PWD2425WSOB05498
3	PWD2425WSOB05499	4	PWD2425WSOB05500
5	PWD2425WSOB05501	6	PWD2425WSOB05502
7	PWD2425WSOB05503		

(अंकित बिन्दल) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सुल्तानपुर

DIPR/C/8693/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड बीकानेर

क्रमांक : 1891 दिनांक : 04.09.2024

ई-निविदा सूचना संख्या : 08/2024-25

UBN No. is : PWD2425WSOB05612

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए, बी, सी व डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://pwd.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

बोलीयों की कुल लागत	रु. 242.73 लाख
ऑन लाईन बोली फार्म भरने/अपलोड करने की अवधि	04.09.2024, 9.30 से 18.09.2024, 18.00 बजे तक
ऑन लाईन बोली खोलने की तारीख	19.09.2024 को 11.00 बजे।

राज्यपाल की आज्ञा से (राजीव गुप्ता) अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. नगर खंड बीकानेर

DIPR/C/8723

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर

क्रमांक : लेखा/निविदा/2024/3910 दिनांक : 11.09.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 34/2024-25

राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में विभिन्न सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति/संचालन हेतु पंजीकृत फर्मों/गैर सरकारी कम्पनी/पंजीकृत ठेकेदार/पंजीकृत वाणिज्यक संस्थायें आदि से (द्विपक्रमी) ई-निविदा दिनांक 23.09.2024 को सायं 05.00 बजे तक ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते कार्यालय के नोटिस बोर्ड, राजकीय पोर्टल http://sppp.raj.nic.in अथवा www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/स्थगित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्रसं.	विवरण	UBN No.
1.	सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में वाहन पार्किंग ठेका संचालन हेतु	MHS2425SLOB02928
2.	लैबोरेट्री रियजेन्ट्स किट्स एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु	MHS2425GLRC02929
3.	भेषज एवं औषधी (जेनरिक) की आपूर्ति हेतु	MHS2425GLRC02930
4.	सर्जिकल एवं कन्ज्यूमेंबल आईटम की आपूर्ति	MHS2425GLRC02931

(डॉ. अश्विनी कुमार) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर

DIPR/C/8676/2024

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2024-25/111 - 113 Date : 12/09/2024

ई-निविदा सूचना संख्या : 31/2024-25

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 400.00 लाख (01 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/ अपलोड करने की अवधि	:	12.09.2024 को प्रातः 10.00 बजे से 07.10.2024 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	12.09.2024 को प्रातः 10.00 बजे से 07.10.2024 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	08.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2425WSOB00259

अधिशाषी अभियन्ता - चतुर्थ उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.संवाद/सी/24/5276

कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.

Tel.- (01434) 232013 E-mail : npdeoli@gmail.com

क्रमांक :: न.पा.दे./भूमि/2024-25/6524 दिनांक :: 12.09.2024

भव्य ई-निलामी सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका देवली द्वारा वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना ब्लॉक "एल" के आवासीय भूखण्ड नीचे दर्शित भूखण्ड संख्या व साईज अनुसार 99 वर्षीय लीज होल्ड आधार पर दिनांक 20.09.2024 से 30.09.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जावेंगे। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित भागीदारी शुल्क एवं अमानता राशि ऑनलाईन (प्रति भूखण्ड) https://sso.rajasthan/gov.in/signin पर जाकर स्वयं की SSO ID से ऑनलाईन जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते है। नकद राशि स्वीकार्य नही होगी।

क्र. सं.	योजना का नाम/ स्थान	भूखण्ड संख्या	साईज	कुल क्षेत्रफल वर्गफीट	किस्म/ प्रकार	अमानता राशि (प्रति भूखण्ड) ऑनलाईन	न्यूनतम बोली राशि
1	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड कॉर्नर	01	24.6+25.6/2x49	649.25	आवासीय	50000	181790
2	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	02	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
3	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	03	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
4	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	04	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
5	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	05	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
6	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	06	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
7	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	07	40x20	800.00	आवासीय	50000	203200
8	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	08	25x60	1500.00	आवासीय	50000	381000
9	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	09	25x60	1500.00	आवासीय	50000	381000
10	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड कॉर्नर	10	28x60	1680.00	आवासीय	50000	470400
11	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	11	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
12	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	12	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
13	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	13	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
14	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	14	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
15	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड	15	20x49	980.00	आवासीय	50000	248920
16	वार्ड सं. 22 नेवरबाग सुभाषनगर योजना एल ब्लॉक आवासीय भूखण्ड कॉर्नर	16	23.6+24.6/2x49	623.75	आवासीय	50000	174650

1.	नीलामी भागीदारी शुल्क (प्रति भूखण्ड)	1000.00
2.	ऑनलाईन भागीदारी शुल्क एवं अमानता राशि जमा कराने की दिनांक	दिनांक 20.09.2024 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 27.09.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक।
3.	ई-नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 20.09.2024 को प्रातः 06.00 बजे से
4.	ई-नीलामी बोली समाप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक 30.09.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक।

निलामी शर्तें :-

1. भूखण्ड जहाँ है, जैसा है, के आधार पर नीलाम किये जायेंगे।
2. भूखण्ड का क्षेत्रफल मौका स्थिति अनुसार घट-बढ सकता है।
3. इच्छुक बोलीदाता की अपनी स्वयं की SSO ID होना अनिवार्य है। नीलामी बोलीदाता नीलामी भागीदारी शुल्क एवं अमानता राशि अपनी SSO ID से Login कर G2C एप में LSG E-AUCTION लिंक पर अपनी प्रोफाईल बनाकर कर जमा करवाकर ही नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी से संबंधित समस्त विवरण वैबसाईट पर देखा जा सकता है।
4. ई-ऑक्शन में अधिकतम दर ही स्वीकार की जावेगी। उपरोक्त वर्णित भूखण्डों की नीलामी बोली 10000/- रू. के गुणांक में बढाकर लगाये जाने पर ही स्वीकार होगी।
5. यह भूमि विक्रय राजस्थान नगरपालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम एवं संशोधित नियम 2019 व उसके जारी परिपत्रों के अन्तर्गत की जा रही है।
6. उच्चतम बोली लगाने वाले (सफल बोलीदाता) को निलामी स्वीकृत होने के पश्चात मांग पत्र जारी होने की दिनांक से तीन दिवसों के भीतर अपनी बोली की 15 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त राशि जमा कराने में विफलता के कारण बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गई अमानता राशि जब्त किया जावेगा और भूमि की निलामी स्वचालित रूप से रद्द मानी जावेगी।
7. बकाया 35 प्रतिशत राशि निलामी दिनांक से 120 दिनों के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा। विफल क्रेता है, तो अवधि की समाप्ति के बाद बोली लगाने वाले 60 दिनों में या विस्तारित समय अवधि के भीतर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित देय राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा।
8. सफल बोलीदाता 180 दिन में शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवायेगा, विफल रहने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदाता डिमाण्ड नोटिस की तारीख से 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करवाता है, तो दो प्रतिशत की बोली राशि में छूट मिलेगी। भूखण्डों की सम्पूर्ण निलामी राशि चैक/डी.डी. द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. भूखण्ड 99 वर्षीय लीज होल्ड पर अरबन सेटलमेंट ग्राउण्ड रेन्ट के आधार पर विक्रय किया जावेगा। जिसकी लीज राशि आरक्षित दर पर आवासीय 2.50 प्रतिशत नियमानुसार क्रेता को जमा करानी होगी।
10. लीज डीड शाश्वत पत्र का विधिवत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिसके स्टाम्प, नक्शा एवं रजिस्ट्री पर होने वाला व्यय स्वयं क्रेता को वहन करना होगा।
11. बोली को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार नगरपालिका देवली के पास सुरक्षित रहेगा। जिसका कारण बताना आवश्यक नही होगा।
12. बोली लगाने के दौरान किसी भी भूखण्ड में यदि कोई वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस भूखण्ड की बोली स्थगित/निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका देवली एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका देवली में निहित होगा।
13. उच्चतम बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका देवली में निहित होगा।
14. नीलामी में असफल रहने वाले बोलीदाताओं की अमानत राशि 15 दिवस में स्वतः ही नगरपालिका द्वारा उनके खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को पृथक से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी।
15. तीन वर्ष की अवधि के अन्दर नियमों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृत करवाकर क्रेता को भवन निर्माण कराना होगा। यदि तीन वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नही कराया गया, तो जमा कराई गई राशि को बगैर लोटाये पालिका द्वारा राशि जब्त कर भूखण्ड को निरस्त कर अपने कब्जे में ले लिया जावेगा तथा पुनः निलाम कर दिया जावेगा।
16. भूमि का मानचित्र एवं शर्तें प्रतिबंधों व समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।
17. उपरोक्त भूखण्डों का क्षेत्रफल मौके पर कम या ज्यादा होगा तो उसके आधार पर राशि जमा करानी होगी।
18. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या, नीलामी शर्तो एवं ई-नीलामी सम्बन्धी जानकारी मोबाईल नं. 9982651173 एवं 9252170588 पर सम्पर्क कर की जा सकती है।

राज.संवाद/सी/23/5245 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी